

**मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक, इन्दौर वृत्त, इन्दौर द्वारा प्रसारित
आदेश**

क्रमांक/मा.चि./2020/ 80

इन्दौर दिनांक : 07-05-2020

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल के पत्र क्रमांक /एफ-5/931/2020/10-11/460 दिनांक 05-02-2020 द्वारा 10 वर्षीय क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना के स्थान पर भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रस्ताव के साथ 11 वर्षीय क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना तैयार करने के निर्देश दिये जाने के फलस्वरूप इस कार्यालय के आदेश क्रमांक /मा.चि./704 दिनांक 19-09-2019 द्वारा जारी 10 वर्षीय रोपण योजना की तकनीकी स्वीकृती निरस्त करते हुये म.प्र. शासन वित्त विभाग के क्रमांक 621/3/नियम/चार, भोपाल दिनांक 3-09-2003 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए वनमण्डलाधिकारी द्वारा की गई अनुशंसा सहित प्रस्तुत प्राक्कलन की निम्नानुसार संशोधित तकनीकी स्वीकृति जारी की जाती है :-

वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र	योजना का नाम	कार्य स्थल	कार्य हेतु प्रस्तावित क्षेत्र हे० मे	आर्थिक लक्ष्य (लाख में)	योजना अंतर्गत रोपित पौधों की संख्या	रोपित किये जाने वाले पौधों की प्रजाति	योजना अवधि
झाबुआ	पेटलावद	इन्दौर-दाहोद-न्यू ब्राडगेज रेलवे लाईन परियोजना के अंतर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना	कक्ष क्रमांक 356 नया (पुराना 209) कचराखदान	65.000	251.68	65000	नीम, चिरोल, बबूल, शिशु, सफेद सिरस, जामुन, खमेर, बहेडा, महुआ, खैर, शिशम, आँवला, ईमली, अंजन, करंज, पीपल, बरगद, गूलर, जंगल जलेबी, सीताफल, अर्जुन, बेल, बीजा, अचार, मिलामा एवं अन्य	2020-21 से 2030-31
		योग		65.000	251.680	65000		

उक्त व्यय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवंटन के विरुद्ध विकलनीय होगा।

उपरोक्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्याधीन मान्य रहेगी :-

- 1 समस्त कार्य मुख्यालय भोपाल एवं वन संरक्षक, (क्षे.) इन्दौर वृत्त, इन्दौर द्वारा स्वीकृत जॉबदरों पर ही कराये जावें। यदि किसी कार्य की जॉबदर स्वीकृत न हो तो सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य कराये जावें।
- 2 फेंसिंग तथा अन्य सामग्री क्रय करते समय भण्डार क्रय नियमों का पालन किया जावे।
- 3 स्वीकृत राशि व्यय की अधिकतम सीमा है। अतः प्रोजेक्ट स्थल पर वास्तविक कार्य स्थल की आवश्यकता अनुसार मितव्ययिता बरतते हुए किया जावे।
- 4 वनमण्डलाधिकारी/उप वनमण्डलाधिकारी कार्यों का निरीक्षण कार्य अवधि में अनिवार्य रूप से करेंगे तथा प्लांटेशन जनरल में निरीक्षण टीप अनिवार्य रूप से अंकित करेंगे।
- 5 तकनीकी प्रशासनिक एवं कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण नियंत्रण रखना परिक्षेत्राधिकारी एवं उप वनमण्डलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी।

- 6 कार्य के दौरान क्षेत्र की आवश्यकता एवं उद्देश्य को देखते हुए किसी विशेष कार्य की मात्रा में संशोधन एवं बदलाव किये जाने हेतु परिक्षेत्र अधिकारी वनमण्डलाधिकारी से अनुमोदन उपरान्त कार्य स्थल की परिस्थिती को देखते हुवे बदलाव कर सकेंगे। परंतु इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह बदलाव प्रोजेक्ट में प्रस्तावित कुल राशि की सीमा के अन्तर्गत ही किया जावेगा। यदि कार्य की मात्रा में संशोधन अथवा बदलाव किया जाता है तो वर्ष के अन्त में पुनरिक्षित तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर ली जावे। यदि संशोधित स्वीकृति प्राप्त नहीं की जाती है तो यह माना जावेगा कि किया गया कार्य स्वीकृत प्राक्कलन एवं निर्धारित शर्तों के अनुसार ही किया गया है। संशोधित स्वीकृति प्राप्त करने की सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित वन परिक्षेत्राधिकारी एवं वनमण्डलाधिकारी की रहेगी।
- 7 शासन तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले प्रशासनिक, आर्थिक तथा तकनीकी निर्देशों का पालन करने की जिम्मेदारी वनमण्डलाधिकारी की रहेगी।
- 8 प्लांटेशन जनरल कार्य प्रारंभ के दिनांक से संधारित किया जावेगा। इस कार्यालय द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृति आदेश की प्रति प्लांटेशन जनरल में चस्पा की जावे।
- 9 योजना में जिन कार्यों के माप, डिजाईन तथा चित्र आदि प्रस्तावित है, कार्य संपादित कराने वाले प्रभारी कर्मचारी को प्रदाय किये जावे।
- 10 योजना का कार्य पूर्ण होने पर कार्य समाप्ति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जावे।
- 11 श्रमायुक्त मध्यप्रदेश इन्दौर द्वारा जारी समस्त श्रम नियमों एवं प्रचलित मजदूरी का पालन किया जावे।
- 12 योजना के उद्देश्यों के अनुरूप ही चयनित प्रजातियों का ही रोपण किया जावे।
- 13 प्रस्तावित क्षेत्र के Google earth का रंगीन मानचित्र प्रोजेक्ट में अनिवार्य रूप से लगाया जावे।
- 14 प्राक्कलन में प्रस्तावित सभी कार्यों को उपचार मानचित्र में दर्शाया जावे।
- 15 कार्य के दौरान समस्त कार्यों के फोटोग्राफ्स लेकर प्लांटेशन जनरल में चस्पा किये जावे। फोटोग्राफ्स किस साईट से व किस दिनांक को लिये गये है, फोटो पर स्पष्ट लिखा जावे।
- 16 जहाँ तक संभव हो ढूँढ ड्रेसिंग एव पौधा रोपण के कार्य को अधिक से अधिक प्राथमिकता दी जावे। उपरोक्त दोनों कार्यों को पूर्ण रूपेण किये जाने के उपरांत ही भू एवं जल संरक्षण का कार्य किया जावे। भू एवं जल संरक्षण के कार्य में नालों के ऊपर चेकडेम निर्माण की प्राथमिकता दी जावे चयनित नालों को पूर्ण रूपेण उपचार करने के पश्चात ही अन्य नालों का चयन किया जावे।
- 17 वृक्षारोपण क्षेत्र के अंतर्गत निर्धारित कक्ष में किसी प्रकार का अतिक्रमण होने पर उसे बेदखल करने की कार्यवाही के उपरान्त ही वृक्षारोपण किया जावे।
- 18 वृक्षारोपण स्थल की परिधि में उपलब्ध समस्त मुनारों की मरम्मत एवं पुताई की जावे तथा मुनारा संख्या व निर्देश पेंट के माध्यम से अंकित किये जावे।
- 19 खाद/निमखली क्रय, उपजाऊ मिट्टी के परिवहन एवं परिवर्तन के व्यय पर मितव्ययिता बरती जावे। उपजाऊ मिट्टी के परिवहन 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी से नहीं कराया जावे। निर्धारित दूरी से अधिक एवं आवश्यकता से अधिक मिट्टी परिवहन हेतु वनमण्डलाधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी की जावे। प्राथमिकता के आधार पर क्षेत्र विशेष से उपजाऊ मिट्टी प्राप्त की जावे।
- 20 पौधे अनुसंधान विस्तार की नर्सरी से प्राप्त करें।
- 21 प्राक्कलन स्थाई अभिलेख है, जिसे स्पाईरल बाइंडिंग करायी जाकर सुरक्षित रखा जावे।


(सी.एस.निगम)
मुख्य वन संरक्षक एवं
पदेन वन संरक्षक,
इन्दौर वृत्त, इन्दौर

म.प्र. शासन वन विभाग



प्रोजेक्ट रिपोर्ट

(वैकल्पिक वृक्षारोपण)

Indore Dahod New BG line Project

पंजीयन क्रमांक FP/MP/RAIL/34543/2018

अवधि

(वर्ष 2020-21 से 2030-31)

ग्राम वन समिति	:-	कचराखदान
ग्राम	:-	कचराखदान
बीट	:-	बनी
वन परिक्षेत्र	:-	पेटलावद
कक्ष क्रमांक	:-	356 नया(209 पुराना)
कार्य वृत	:-	चारागाह विकास
वृक्षारोपण योग्य रकबा	:-	65 हेक्टेयर
प्रथम वर्ष लागत	:-	10677000
योजना की लागत	:-	25168000
जी.पी.एस. रिडिंग	:-	N -22°54'17.4" E - 74°52'14.4"

वनमण्डल, झाबुआ (सामान्य)

उपचार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण

1. परियोजना का नाम	—	Indore Dahod new BG Line Project.
2. जिला	—	झाबुआ
3. वनमंडल	—	झाबुआ, सामान्य
4. परिक्षेत्र	—	पेटलावद
5. तहसील	—	पेटलावद
6. ग्राम पंचायत	—	कचराखदान
7. बीट	—	बनी
8. कक्ष क्रमांक	—	356 नया(209 पुराना)
9. ग्राम वन समिति	—	कचराखदान
10. कार्यवृत्त	—	चारागाह विकास
11. मिट्टी का प्रकार	—	दोमट कंकरीली
12. साईट क्वालिटी	—	VB
13. समिति अध्यक्ष	—	श्री बद्दु दल्ला भूरिया
14. बीटगार्ड	—	श्री महे I सोलंकी
15. परिक्षेत्र सहायक	—	श्री नाथुलाल सिंगार

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 65000
2. रोपित किये जोन वाले पौधों का विवरण :-

क्रमांक	प्रजाति का नाम	पौधों की संख्या	पौधों की आयु वर्ष में	पौधों की ऊँचाई (से.मी.)	कॉलर गोलाई (से.मी.)
1	बांस	3900	1.5 से 2 वर्ष	—	3-5
2	सागौन	9750	1 से 1.25 वर्ष	लम्बाई 9 इंच रूट 8 इंच शूट 1 इंच	3.5-5 सेंमी
3	नीम	5850	1 वर्ष	45 से.मी.	1.5-2 सेंमी
4	चिरोल	5200	1 वर्ष	45 से.मी.	1.5-2 सेंमी
5	बबुल	3900	1 वर्ष	45 से.मी.	1.5-2 सेंमी
6	शीशु	3250	1 वर्ष	45 से.मी.	1.5-2 सेंमी
7	सफेद सिरस	1300	1 वर्ष	45 से.मी.	1.5-2 सेंमी
8	जामुन	1300	1 वर्ष	45 से.मी.	1.5-2 सेंमी
9	खमेर	3250	1 वर्ष	45 से.मी.	1.5-2 सेंमी
10	बहेडा	1300	1 वर्ष	45 से.मी.	1.5-2 सेंमी
11	महुआ	1300	2 वर्ष	45 से.मी.	2-3 सेमी
12	खैर	3900	2 वर्ष	45 से.मी.	2-3 सेमी
13	शीशम	1300	2 वर्ष	45 से.मी.	2-3 सेमी
14	ऑवला	3250	2 वर्ष	45 से.मी.	2-3 सेमी
15	इमली	3250	2 वर्ष	45 से.मी.	2-3 सेमी
16	अंजन	1300	2 वर्ष	45 से.मी.	2-3 सेमी
17	करंज	3250	2 वर्ष	45 से.मी.	2-3 सेमी
18	पीपल	650	2 वर्ष	45 से.मी.	2-3 सेमी
19	बरगद	650	2 वर्ष	45 से.मी.	2-3 सेमी
20	गुलर	650	2 वर्ष	45 से.मी.	2-3 सेमी
21	जगल जलेबी	1300	2 वर्ष	45 से.मी.	2-3 सेमी
22	सीताफल	1300	2 वर्ष	45 से.मी.	2-3 सेमी
23	अर्जुन	1300	2 वर्ष	45 से.मी.	2-3 सेमी
24	बेल	650	2 वर्ष	45 से.मी.	2-3 सेमी
25	बीजा	650	2 वर्ष	45 से.मी.	2-3 सेमी
26	अचार	650	2 वर्ष	45 से.मी.	2-3 सेमी
27	भिलमा	650	2 वर्ष	45 से.मी.	2-3 सेमी
	योग:-	65000			

3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य:- क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थलों पर 60 से.मी. गहरे तथा 60 से.मी. चौड़े सतत कंटूर ट्रेंच बनाये जायेंगे । आवश्यकता अनुसार उपयुक्त स्थलों पर कंटूर बण्ड का निर्माण किया जावेगा । क्षेत्र में मौजूद छोटे नालों में पत्थर से नाला बंधान का कार्य किया जावेगा तथा जल संरचना । इन कार्यों के लिये प्रथम वर्ष की राशि की 25 प्रतिशत राशि प्रावधानित की गई है ।

4. क्षेत्र की सुरक्षा:- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा चैनलिंग फेंसिंग तथा आर.सी.सी. पोल लगाकर की जावेगी।
5. पुर्नउत्पादन सफाई:- क्षेत्र में किये गये ठूठ ड्रेसिंग कार्य से प्राप्त कापिस की सिंगलिंग का कार्य सुरक्षा श्रमिकों के माध्यम से द्वितीय वर्ष अथवा तृतीय वर्ष में किया जावेगा।
6. सिल्वीकल्चर ऑपरेशन:- क्षेत्र में प्रथम वर्ष में लैण्टाना उन्मूलन का कार्य किया जावेगा। रोपण उपरांत आवश्यकतानुसार मृत्यारोपण तथा निंदाई का कार्य किया जायेगा। रोपण उपरान्त प्रत्येक वर्ष अग्नि सुरक्षा के कार्य प्रावधानित किये गये है।
7. रखरखाव :- रोपण के उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जावेगा।
8. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य:- रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष दिनांक 01 मई तथा 01 अक्टूबर की स्थिति में जीवित पौधों की गणना तथा गोलाई की गणना की जावेगी। इस गणना की प्रविष्टि रोपण पंजी में की जावेगी। समय-समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार रहेगा :-

परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उप वनमण्डलाधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डलाधिकारी द्वारा	10 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय-समय पर गैर शासकीय / शासकीय संस्थाओं से करवाया जाने वाला मुल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।

रखरखाव अवधि समाप्त होने पर पौधे स्थाईत्व को प्राप्त कर लेंगे।


उप वन मण्डलाधिकारी,
उप वन मण्डल, झाबुआ


वन मण्डलाधिकारी,
सामान्य वन मण्डल, झाबुआ

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र झाबुआ

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु योजना (क्षेत्रफल-65 हेक्टेयर)

(असिंचित)

क्षेत्र तैयारी वर्ष- योजना का प्रथम वर्ष (2020-21)

संख्या 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर

वनमण्डल :- झाबुआ				वन परिक्षेत्र - पेटलावद					
कक्ष क्रमांक :- 356(209 पुराना) कचराखदान				स्थल का नाम - कचराखदान					
योजना का नाम : वैकल्पिक वृक्षारोपण				समिति का नाम - कचराखदान					
मद :- केम्पा									
कुल क्षेत्र :-76.131 हेक्टर			कार्य योग्य क्षेत्र :		65	हेक्टेयर	दैनिक मजदूरी दर :		306
क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई		कुल मानव दिवस	रिमार्क	राशि	
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	सर्वे एवं सीमांकन हे0	65	ha	0.45	हे0	29.25	जॉबदर	8951	
2	पक्के मुनारों का निर्माण	0	मुनारा	16.00	मुनारा	0.00	गणना के आधार पर	0	
3	ट्रीटमेंट टाइप का क्षेत्र में सीमांकन (सामग्री सहित) हेक्ट.	65	ha	1.00	.	65.00	अनुमानित	19890	
4	क्षेत्र सफाई (हे0)	65	ha	4.00	प्रति हे0	260.00	जॉबदर	79560	
5	लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (मध्यम)	20	ha	12.50	प्रति हेक्ट	250.00	जॉबदर	76500	
6	वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.8 मी. ऊंची, 75 mm X 75 mm की मेस साइज, 12 गेज चैनलिक फेंसिंग से करने पर, साथ ही सीमेंट के पोल 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी/प्रति किलो की नुकीली तार की 03 लाईनों में भी लगाई जायेगी। सीमेंट पोल को 30 cm X 30 cm X 45 cm के गड्डों में 1:2:4 के सीमेंट कांक्रीट से भरा जायेगा।	4492	Rmt	2.40	Rmt	10780.80	गणना के आधार पर	3298925	
7	गड्ढा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट	65000	गड्ढे	2.50	प्रति हजार	162.50	जॉबदर	49725	
8	रोपण हेतु गड्ढा खोदाई संख्या 60x60x60 cm.	65000	गड्ढे	10.00	प्रति सैकड़ा	6500.00	जॉबदर	1989000	
9	गड्ढों में मिट्टी बदलने हेतु क्य (आयतन का 30 प्रतिशत)	4212	घ0मी0	250.00	घ0मी0		बाजार दर	1053000	
10	गोबर खाद डालने हेतु क्य (आयतन का 5 प्रतिशत)	702	घ0मी0	1500.00	घ0मी0		बाजार दर	1053000	
11	उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं आर्गेनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गड्ढों में डालना	65000	गड्ढे	1.50	प्रति सैकड़ा	975.00	जॉबदर	298350	

12	नीम खली क्रय 100 ग्राम प्रति पौधा	6500	कि.ग्रा.	25.00	प्रति कि.ग्रा.	531.05	बाजार दर	162500
13	वर्मी कम्पोस्ट क्रय 500 ग्राम प्रति पौधा	32500	कि.ग्रा.	7.00	प्रति कि.ग्रा.	743.46	बाजार दर	227500
14	हट निर्माण 2		L.S.			300.00	अनुमानित	90200
15	अन्य व्यय (निरीक्षण पथ, सूचना बोर्ड, पैंट, चूना आदि)					439.54	अनुमानित	134499
	योग							8541600
16	भू-जल संरक्षण कार्य 25 प्रतिशत	65	हे०		प्रति हे०	6978.43	अनुमानित	2135400
	कुल योग :-					34892.16		10677000

योजना का द्वितीय वर्ष (2021-22)

(असिंचित)

वनमण्डल :- झाबुआ				वन परिक्षेत्र - पेटलावद				
कक्ष क्रमांक :- 356(209 पुराना) कचराखदान				स्थल का नाम - कचराखदान				
योजना का नाम : वैकल्पिक वृक्षारोपण				समिति का नाम - कचराखदान				
मद :- केम्पा								
कुल क्षेत्र :-76.131 हेक्टर			कार्य योग्य क्षेत्र :		65	हेक्टेयर	दैनिक मजदूरी दर :	324
क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क	राशि
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रोपणी कार्य							
	प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या	65000	पौधे	10	10 रु. प्रति पौधा	2006.17	बाजार दर	650000
	मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 20 प्रतिशत	13000	पौधे	10	10 रु. प्रति पौधा	401.23	बाजार दर	130000
2	पौधों का परिवहन (संख्या)							
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	78000	पौधे	1.5	प्रति सैकड़ा	1170.00	जॉबदर	379080
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	65000	पौधे	0.4	प्रति सैकड़ा	260.00	जॉबदर	84240
3	लैंटाना मापिंग अप आपरेशन	20	हेक्टेयर	8	प्रति हेक्ट	160.00	जॉबदर	51840
4	रोपण							
	60x60x60 cm.	65000	गड्डे	2	प्रति सैकड़ा	1300.00	जॉबदर	421200
5	प्रथम निंदाई							
	पौधों में	65000	पौधे	1.25	प्रति सैकड़ा	812.50	जॉबदर	263250
6	द्वितीय निंदाई							
	पौधों में	65000	पौधे	1	प्रति सैकड़ा	650.00	जॉबदर	210600
7	तृतीय निंदाई							
	पौधों में	0	पौधे	1	प्रति सैकड़ा	0.00	जॉबदर	0
8	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	65000	पौधे	0.6	प्रति सैकड़ा	390.00	जॉबदर	126360
9	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	4500	मीटर	3.35	प्रति किमी	15.08	जॉबदर	4884
	3 मीटर चौड़ी	15000	मीटर	2.25	प्रति किमी	33.75	जॉबदर	10935
10	सुरक्षा कार्य, 2 सुरक्षा श्रमिक 9 माह	2	श्रमिक	270	मा.दि. प्रति श्रमिक	540.00	अनुमानित	174960
11	1 कि.मी. दूरी तक पानी सिरबोझ से सिंचाई करना 2 बार	65000	पौधे	1.25	प्रति सैकड़ा	1625.00	जॉबदर	526500
12	पानी सप्लाई की व्यवस्था				ल.स.	925.93	अनुमानित	300000
13	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					204.17	अनुमानित	66151
योग:-						10493.83		3400000

योजना का तृतीय वर्ष (2022-23)

(असिंचित)

वनमण्डल :- झाबुआ				वन परिक्षेत्र - पेटलावद					
कक्ष क्रमांक :- 356(209 पुराना) कचराखदान				स्थल का नाम - कचराखदान					
योजना का नाम : वैकल्पिक वृक्षारोपण				समिति का नाम - कचराखदान					
मद :- केम्पा									
कुल क्षेत्र :-76.131 हेक्टर			कार्य योग्य क्षेत्र :		65	हेक्टेयर	दैनिक मजदूरी दर :		344
क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क	राशि	
		मात्रा	इकाई	मानव	इकाई				
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	6500	पौधे	10	10 रु. प्रति पौधा	188.95	बाजार दर	65000	
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						बाजार दर		
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	6500	पौधे	1.5	प्रति सैकड़ा	97.50	जॉबदर	33540	
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	6500	पौधे	0.4	प्रति सैकड़ा	26.00	जॉबदर	8944	
3	चेनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)					200.00	अनुमानित	68800	
4	प्रथम निंदाई								
	पौधों में	65000	पौधे	1.25	प्रति सैकड़ा	812.50	जॉबदर	279500	
5	द्वितीय निंदाई								
	पौधों में	0	पौधे	1	प्रति सैकड़ा	0.00	जॉबदर	0	
6	तृतीय निंदाई								
	पौधों में	0	पौधे	1	प्रति सैकड़ा	0.00	जॉबदर	0	
7	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	65000	पौधे	0.6	प्रति सैकड़ा	390.00	जॉबदर	134160	
8	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन								
	6 मीटर चौड़ी	4500	मीटर	3.35	प्रति किमी	15.08	जॉबदर	5186	
	3 मीटर चौड़ी	15000	मीटर	2.25	प्रति किमी	33.75	जॉबदर	11610	
9	सुरक्षा कार्य, 2 सुरक्षा श्रमिक 12 माह	2	श्रमिक	360	मा.दि. प्रति श्रमिक	720.00	अनुमानित	247680	
10	1 कि.मी. दूरी तक पानी सिरबोझ से सिंचाई करना 2 बार (सिंचाई की अन्य व्यवस्था)	65000	पौधे	1.25	प्रति सैकड़ा	1625.00	जॉबदर	559000	
11	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					184.83	अनुमानित	63580	
योग:-						4293.60		1477000	

योजना का चतुर्थ वर्ष (2023-24)

(असिंचित)

वनमण्डल :- झाबुआ				वन परिक्षेत्र - पेटलावद				
कक्ष क्रमांक :- 356(209 पुराना) कचराखदान				स्थल का नाम - कचराखदान				
योजना का नाम : वैकल्पिक वृक्षारोपण				समिति का नाम - कचराखदान				
मद :- केम्पा								
कुल क्षेत्र :-76.131 हेक्टर		कार्य योग्य क्षेत्र :		65	हेक्टेयर	दैनिक मजदूरी दर :	364	
क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क	राशि
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	6500	पौधे	10	10 रु. प्रति पौधा	178.57	बाजार दर	65000
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						बाजार दर	
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	6500	पौधे	1.5	प्रति सैकड़ा	97.50	जॉबदर	35490
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	6500	पौधे	0.4	प्रति सैकड़ा	26.00	जॉबदर	9464
3	प्रथम निंदाई							
	पौधों में	65000	पौधे	1.25	प्रति सैकड़ा	812.50	जॉबदर	295750
4	द्वितीय निंदाई							
	पौधों में	0	पौधे	1	प्रति सैकड़ा	0.00	जॉबदर	0
5	तृतीय निंदाई							
	पौधों में	0	पौधे	1	प्रति सैकड़ा	0.00	जॉबदर	0
6	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	65000	पौधे	0.6	प्रति सैकड़ा	390.00	जॉबदर	141960
7	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	4500	मीटर	3.35	किमी	15.08	जॉबदर	5487
	3 मीटर चौड़ी	15000	मीटर	2.25	किमी	33.75	जॉबदर	12285
8	सुरक्षा कार्य, 2 सुरक्षा श्रमिक 12 माह	2	श्रमिक	360	मा.दि. प्रति श्रमिक	720.00	अनुमानित	262080
9	1 कि.मी. दूरी तक पानी सिरबोझ से सिंचाई करना 1 बार (सिंचाई की अन्य व्यवस्था)	65000	पौधे	1.25	प्रति सैकड़ा	812.50	जॉबदर	295750
10	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					142.13	अनुमानित	51734
योग:-						3228.02		1175000

योजना का पंचम वर्ष (2024-25)

(असिंचित)

वनमण्डल :- झाबुआ				वन परिक्षेत्र - पेटलावद				
कक्ष क्रमांक :- 356(209 पुराना) कचराखदान				स्थल का नाम - कचराखदान				
योजना का नाम : वैकल्पिक वृक्षारोपण				समिति का नाम - कचराखदान				
मद :- केम्पा								
कुल क्षेत्र :-76.131 हेक्टर			कार्य योग्य क्षेत्र :		65	हेक्टेयर	दैनिक मजदूरी दर :	386
क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क	राशि
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	चेनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)					100.00	अनुमानित	38600
2	प्रथम निंदाई							
	पौधों में	65000	पौधे	1.25	प्रति सैकड़ा	812.50	जॉबदर	313625
3	द्वितीय निंदाई							
	पौधों में	0	पौधे	1	प्रति सैकड़ा	0.00	जॉबदर	0
4	तृतीय निंदाई							
	पौधों में	0		1	प्रति सैकड़ा	0.00	जॉबदर	0
5	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	65000	पौधे	0.6	प्रति सैकड़ा	390.00	जॉबदर	150540
6	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	4500	मीटर	3.35	प्रति किमी	15.08	जॉबदर	5819
	3 मीटर चौड़ी	15000	मीटर	2.25	प्रति किमी	33.75	जॉबदर	13028
7	सुरक्षा कार्य, 2 सुरक्षा श्रमिक 12 माह	2	श्रमिक	360	मा.दि. प्रति श्रमिक	720.00	अनुमानित	277920
8	1 कि.मी. दूरी तक पानी सिरबोज़ से सिंचाई करना 1 बार (सिंचाई की अन्य व्यवस्था)	65000	पौधे	1.25	प्रति सैकड़ा	812.50	जॉबदर	313625
9	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					95.45	अनुमानित	36843
योग:-						2979.3		1150000

योजना का षष्ठम वर्ष (2025-26)

(असिंचित)

वनमण्डल :- झाबुआ				वन परिक्षेत्र - पेटलावद				
कक्ष क्रमांक :- 356(209 पुराना) कचराखदान				स्थल का नाम - कचराखदान				
योजना का नाम : वैकल्पिक वृक्षारोपण				समिति का नाम - कचराखदान				
मद :- केम्पा								
कुल क्षेत्र :-76.131 हेक्टर		कार्य योग्य क्षेत्र :		65	हेक्टेयर	दैनिक मजदूरी दर :-	409	
क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क	राशि
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	प्रथम निंदाई पौधों में	65000		1.25	प्रति सैकड़ा	812.5	जॉबदर	332313
2	द्वितीय निंदाई पौधों में	0		1	प्रति सैकड़ा	0	जॉबदर	0
3	तृतीय निंदाई पौधों में	0		1	प्रति सैकड़ा	0	जॉबदर	0
4	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 6 मीटर चौड़ी	4500	मीटर	3.35	प्रति किमी	15.08	जॉबदर	6166
	3 मीटर चौड़ी	15000	मीटर	2.25	प्रति किमी	33.75	जॉबदर	13804
6	सुरक्षा कार्य, 2 सुरक्षा श्रमिक 12 माह	2	श्रमिक	360	मा.दि. प्रति श्रमिक	720.00	अनुमानित	294480
7	अन्य व्यय					59	अनुमानित	24237
योग:-						1640.59		671000

योजना का सप्तम वर्ष (2026-27)

(असिंचित)

							दैनिक मजदूरी दर :	434
क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क	राशि
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	चेनलिक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)					250.00	अनुमानित	108500
2	प्रथम निंदाई पौधों में	0	पौधे	1.25	प्रति सैकड़ा	0.00	जॉबदर	0
3	द्वितीय निंदाई पौधों में	0	पौधे	1	प्रति सैकड़ा	0.00	जॉबदर	0
4	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 6 मीटर चौड़ी	4500	मीटर	3.35	प्रति किमी	15.08	जॉबदर	6543
	3 मीटर चौड़ी	15000	मीटर	2.25	प्रति किमी	33.75	जॉबदर	14648
5	सुरक्षा कार्य, 2 सुरक्षा श्रमिक 12 माह	2	श्रमिक	360	मा.दि. प्रति श्रमिक	720.00	अनुमानित	312480
6	अन्य व्यय					64.12	अनुमानित	27829
योग:-						1082.95		470000

योजना का अष्टम वर्ष (2027-28)

(असिंचित)

वनमण्डल :- झाबुआ				वन परिक्षेत्र - पेटलावद				
कक्ष क्रमांक :- 356(209 पुराना) कचराखदान				स्थल का नाम - कचराखदान				
योजना का नाम : वैकल्पिक वृक्षारोपण				समिति का नाम - कचराखदान				
मद :- केम्पा								
कुल क्षेत्र :-76.131 हेक्टर			कार्य योग्य क्षेत्र :		65	हेक्टेयर	दैनिक मजदूरी दर :	460
क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाक	राशि
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	चेनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)	LS				200.00	अनुमानित	92000
1	प्रथम निंदाई							
	पौधों में	0		1.25	100	0	जॉबदर	0
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
2	6 मीटर चौड़ी	4500	मीटर	3.35	प्रति किमी	15.08	जॉबदर	6935
	3 मीटर चौड़ी	15000	मीटर	2.25	प्रति किमी	33.75	जॉबदर	15525
3	सुरक्षा कार्य, 2 सुरक्षा श्रमिक 12 माह	2	श्रमिक	360	मा.दि. प्रति श्रमिक	720.00	अनुमानित	331200
4	अन्य व्यय					31.17	अनुमानित	14340
योग:-						1000.00		460000

योजना का नवम वर्ष (2028-29)

(असिंचित)

				दैनिक मजदूरी दर :				488
क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाक	राशि
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	चेनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)	LS				140.00	अनुमानित	68320
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
2	6 मीटर चौड़ी	4500	मीटर	3.35	प्रति किमी	15.08	जॉबदर	7357
	3 मीटर चौड़ी	15000	मीटर	2.25	प्रति किमी	33.75	जॉबदर	16470
3	सुरक्षा कार्य, 2 सुरक्षा श्रमिक 12 माह	2	श्रमिक	360	मा.दि. प्रति श्रमिक	720.00	अनुमानित	351360
4	अन्य व्यय					13.31	अनुमानित	6493
योग:-						922.13		450000

उप वनमण्डलाधिकारी
उप वनमण्डल झाबुआ

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र पेटलावद

योजना का दशम वर्ष (2029-30)

(असिंचित)

वनमण्डल :- झाबुआ				वन परिक्षेत्र - पेटलावद				
कक्ष क्रमांक :- 356(209 पुराना) कचराखदान				स्थल का नाम - कचराखदान				
योजना का नाम : वैकल्पिक वृक्षारोपण				समिति का नाम - कचराखदान				
मद :- केम्पा								
कुल क्षेत्र :-76.131 हेक्टर		कार्य योग्य क्षेत्र :		65	हेक्टेयर	दैनिक मजदूरी दर :		517
क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क	राशि
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	चेनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)	LS				60.00	अनुमानित	31020
आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन								
2	6 मीटर चौड़ी	4500	मीटर	3.35	प्रति किमी	15.08	जॉबदर	7794
	3 मीटर चौड़ी	15000	मीटर	2.25	प्रति किमी	33.75	जॉबदर	17449
3	सुरक्षा कार्य, 2 सुरक्षा श्रमिक 12 माह	2	श्रमिक	360	मा.दि. प्रति श्रमिक	720.00	अनुमानित	372240
4	अन्य व्यय					22.24	अनुमानित	11497
योग:-						851.06		440000

योजना का ग्यारह वर्ष (2030-31)

(असिंचित)

दैनिक मजदूरी दर : 548

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई		कुल मानव दिवस	रिमार्क	राशि
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन								
1	6 मीटर चौड़ी	4500	मीटर	3.35	प्रति किमी	15.08	जॉबदर	8261
	3 मीटर चौड़ी	15000	मीटर	2.25	प्रति किमी	33.75	जॉबदर	18495
2	सुरक्षा कार्य, 2 सुरक्षा श्रमिक 12 माह	2	श्रमिक	360	मा.दि. प्रति श्रमिक	720.00	अनुमानित	394560
3	अन्य व्यय					15.85	अनुमानित	8684
योग:-						784.67		430000

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु योजना गोश्वारा,
65 हेक्टेयर

(असिंचित)

वनमण्डल :- झाबुआ		वन परिक्षेत्र - पेटलावद		
कक्ष क्रमांक :- 356(209 पुराना) कचराखदान		स्थल का नाम - कचराखदान		
योजना का नाम : वैकल्पिक वृक्षारोपण		समिति का नाम - कचराखदान		
मद :- केम्पा				
वित्तीय वर्ष	प्रस्तावित मानव दिवस	मजदूरी दर	राशि	प्रति हेक्टर व्यय
प्रथम (2020-21)	34892	306	10677000	164262
द्वितीय (2021-22)	10494	324	3400000	52308
तृतीय (2022-23)	4294	344	1477000	22723
चतुर्थ (2023-24)	3228	364	1175000	18077
पंचम (2024-25)	2979	386	1150000	17692
षष्ठम (2025-26)	1641	409	671000	10323
सप्तम (2026-27)	1083	434	470000	7231
अष्टम (2027-28)	1000	460	460000	7077
नवम (2028-29)	922	488	450000	6923
दशम (2029-30)	851	517	440000	6769
ग्यारह(2030-31)	785	548	430000	6615
कुल योग	62168		20800000	320000

कुल राशि का 5 प्रतिशत आस्थामुलक	1040000
कुल राशि का 1 प्रतिशत मानव संसाधन विकास	208000
कुल राशि का 4 प्रतिशत अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य	832000
योग :-	2080000
सकल योग :-	22880000
10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क	2288000
महायोग :-	25168000


उप वनमण्डलाधिकारी
उप वनमण्डल झाबुआ


वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल झाबुआ

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र पेटलावद

मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक, इन्दौर वृत्त, इन्दौर द्वारा प्रसारित

आदेश

क्रमांक/मा.चि./2020/ 81

इन्दौर दिनांक 07-05-2020

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल के पत्र क्रमांक /एफ-5/931/2020/10-11/460 दिनांक 05-02-2020 द्वारा 10 वर्षीय क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना के स्थान पर भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रस्ताव के साथ 11 वर्षीय क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना तैयार करने के निर्देश दिये जाने के फलस्वरूप इस कार्यालय के आदेश क्रमांक /माचि/705 दिनांक 19-09-2019 द्वारा जारी 10 वर्षीय रोपण योजना की तकनीकी स्वीकृति निरस्त करते हुये म.प्र. शासन वित्त विभाग के क्रमांक 621/3/नियम/चार, भोपाल दिनांक 3-09-2003 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए वनमण्डलाधिकारी द्वारा की गई अनुशंसा सहित प्रस्तुत प्राक्कलन की निम्नानुसार संशोधित तकनीकी स्वीकृति जारी की जाती है :-


वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र	योजना का नाम	कार्य स्थल	कार्य हेतु प्रस्तावित क्षेत्र हे० मे	आर्थिक लक्ष्य (लाख में)	योजना अंतर्गत रोपित पौधों की संख्या	रोपित किये जाने वाले पौधों की प्रजाति	योजना अवधि
झाबुआ	झाबुआ	इन्दौर-दाहोद-न्यू ब्राडगेज रेलवे लाईन परियोजना के अंतर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना	कक्ष क्रमांक 400 नया (पुराना 261) केलझर	65.000	251.68	65000	सागौन, नीम, चिरोला, खमेर, शिशु, आँवला, बांस, सिताफल, ईमली, करंज, सुरजना, पीपल, महुआ, खैर, बबूल, लसोडा, शीशम, जंगल जलेबी, अर्जुन, अन्य बैर, बेल, अचार, जामुन, अमलतास आदि	2020-21 से 2030-31
		योग		65.000	251.680	65000		

उक्त व्यय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवंटन के विरुद्ध विकलनीय होगा।

उपरोक्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्याधीन मान्य रहेगी :-

- 1 समस्त कार्य मुख्यालय भोपाल एवं वन संरक्षक, (क्षे.) इन्दौर वृत्त, इन्दौर द्वारा स्वीकृत जॉबदरों पर ही कराये जावें। यदि किसी कार्य की जॉबदर स्वीकृत न हो तो सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य कराये जावें।
- 2 फेंसिंग तथा अन्य सामग्री क्रय करते समय भण्डार क्रय नियमों का पालन किया जावे।
- 3 स्वीकृत राशि व्यय की अधिकतम सीमा है। अतः प्रोजेक्ट स्थल पर वास्तविक कार्य स्थल की आवश्यकता अनुसार मितव्ययिता बरतते हुए किया जावे।
- 4 वनमण्डलाधिकारी/उप वनमण्डलाधिकारी कार्यों का निरीक्षण कार्य अवधि में अनिवार्य रूप से करेंगे तथा प्लांटेशन जनरल में निरीक्षण टीप अनिवार्य रूप से अंकित करेंगे।
- 5 तकनीकी प्रशासनिक एवं कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण नियंत्रण रखना परिक्षेत्राधिकारी एवं उप वनमण्डलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी।

- 6 कार्य के दौरान क्षेत्र की आवश्यकता एवं उद्देश्य को देखते हुए किसी विशेष कार्य की मात्रा में संशोधन एवं बदलाव किये जाने हेतु परिक्षेत्र अधिकारी वनमण्डलाधिकारी से अनुमोचन उपरान्त कार्य स्थल की परिस्थिती को देखते हुवे बदलाव कर सकेगे। परंतु इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह बदलाव प्रोजेक्ट में प्रस्तावित कुल राशि की सीमा के अन्तर्गत ही किया जावेगा। यदि कार्य की मात्रा में संशोधन अथवा बदलाव किया जाता है तो वर्ष के अन्त में पुनरिक्षित तकनीकी स्वीकृति साक्षम अधिकारी से प्राप्त कर ली जावे। यदि संशोधित स्वीकृति प्राप्त नहीं की जाती है तो यह माना जावेगा कि किया गया कार्य स्वीकृत प्राक्कलन एवं निर्धारित शर्तों के अनुसार ही किया गया है। संशोधित स्वीकृति प्राप्त करने की सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित वन परिक्षेत्राधिकारी एवं वनमण्डलाधिकारी की रहेगी।
- 7 शासन तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले प्रशासनिक, आर्थिक तथा तकनीकी निर्देशों का पालन करने की जिम्मेदारी वनमण्डलाधिकारी की रहेगी।
- 8 प्लान्टेशन जनरल कार्य प्रारंभ के दिनांक से संधारित किया जावेगा। इस कार्यालय द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृति आदेश की प्रति प्लान्टेशन जनरल में चरपा की जावे।
- 9 योजना में जिन कार्यों के माप, डिजाईन तथा चित्र आदि प्रस्तावित हैं, कार्य संपादित कराने वाले प्रभारी कर्मचारी को प्रदाय किये जावे।
- 10 योजना का कार्य पूर्ण होने पर कार्य समाप्ति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जावे।
- 11 श्रमायुक्त मध्यप्रदेश इन्दौर द्वारा जारी समस्त श्रम नियमों एवं प्रचलित मजदूरी का पालन किया जावे।
- 12 योजना के उद्देश्यों के अनुरूप ही चयनित प्रजातियों का ही रोपण किया जावे।
- 13 प्रस्तावित क्षेत्र के Google earth का रंगीन मानचित्र प्रोजेक्ट में अनिवार्य रूप से लगाया जावे।
- 14 प्राक्कलन में प्रस्तावित सभी कार्यों को उपचार मानचित्र में दर्शाया जावे।
- 15 कार्य के दौरान समस्त कार्यों के फोटोग्राफ्स लेकर प्लान्टेशन जनरल में चरपा किये जावे। फोटोग्राफ्स किस साईट से व किस दिनांक को लिये गये हैं, फोटो पर स्पष्ट लिखा जावे।
- 16 जहाँ तक संभव हो वूठ ड्रेसिंग एवं पौधा रोपण के कार्य को अधिक से अधिक प्राथमिकता दी जावे। उपरोक्त दोनों कार्यों को पूर्ण रूपेण किये जाने के उपरांत ही भू एवं जल संरक्षण का कार्य किया जावे। भू एवं जल संरक्षण के कार्य में नालों के ऊपर चैकडेम निर्माण की प्राथमिकता दी जावे चयनित नालों को पूर्ण रूपेण उपचार करने के पश्चात ही अन्य नालों का चयन किया जावे।
- 17 वृक्षारोपण क्षेत्र के अंतर्गत निर्धारित कक्ष में किसी प्रकार का अतिक्रमण होने पर उसे बेदखल करने की कार्यवाही के उपरान्त ही वृक्षारोपण किया जावे।
- 18 वृक्षारोपण स्थल की परिधि में उपलब्ध समस्त मुनारों की मरम्मत एवं पुताई की जावे तथा मुनारा संख्या व निर्देश पेंट के माध्यम से अंकित किये जावे।
- 19 खाद/निमखली क्रय, उपजाऊ मिट्टी के परिवहन एवं परिवर्तन के व्यय पर मितव्ययिता बरती जावे। उपजाऊ मिट्टी के परिवहन 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी से नहीं कराया जावे। निर्धारित दूरी से अधिक एवं आवश्यकता से अधिक मिट्टी परिवहन हेतु वनमण्डलाधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी की जावे। प्राथमिकता के आधार पर क्षेत्र विशेष से उपजाऊ मिट्टी प्राप्त की जावे।
- 20 पौधे अनुसंधान विस्तार की नर्सरी से प्राप्त करें।
- 21 प्राक्कलन स्थाई अभिलेख है, जिसे स्पाईरल बाइंडिंग करायी जाकर सुरक्षित रखा जावे।


(सी.एस.सिंघा)

मुख्य वन संरक्षक एवं
पदेन वन संरक्षक,
इन्दौर वृत्त, इन्दौर

पृ. क्र./मा.चि./2020/ 1789

इन्दौर दिनांक 07-05-2020

प्रतिलिपि :-

- 1 महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- 2 वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल झाबुआ की ओर उनके पत्र क्रमांक/व्यय/2095 दिनांक 06-05-2020 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित। अनुमोदित प्राक्कलन की मूल प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। व्यय में पूर्ण मितव्ययिता बरती जावे तथा कार्य उच्च गुणवत्ता का होना चाहिये। प्राक्कलन की एक प्रति संबंधित कार्य प्रभारी को उपलब्ध कराई जावें। प्राक्कलन अवधि समाप्ति उपरान्त कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ-साथ क्षेत्र का मूल्यांकन कर सफलता/असफलता का प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।
- 3 आदेश प्रति।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार अनुमोदित प्रोजेक्ट की प्रति द्वितीयक में


मुख्य वन संरक्षक एवं
पदेन वन संरक्षक,
इन्दौर वृत्त, इन्दौर

म.प्र. शासन वन विभाग



प्रोजेक्ट रिपोर्ट (वैकल्पिक वृक्षारोपण)

Indore Dahod New BG line Project

पंजीयन क्रमांक FP/MP/RAIL/34543/2018

अवधि

(वर्ष 2020-21 से 2030-31)

ग्राम वन समिति	:-	केलझर
ग्राम	:-	केलझर
बीट	:-	केलझर
वन परिक्षेत्र	:-	झाबुआ
कक्ष क्रमांक	:-	400 नया(261पुराना)
कार्य वृत्त	:-	बिगड़े वनों का सुधार
वृक्षारोपण योग्य रकबा	:-	65 हेक्टेयर
प्रथम वर्ष लागत	:-	9969600
योजना की लागत	:-	25168000
जी.पी.एस. रिडिंग	:-	N -22°48'47.45" E -74°44'20.37"

वनमण्डल, झाबुआ (सामान्य)

उपचार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण

1. परियोजना का नाम	—	Indore Dahod New BG Line Project.
2. जिला	—	झाबुआ
3. वनमंडल	—	झाबुआ, सामान्य
4. परिक्षेत्र	—	झाबुआ
5. तहसील	—	रामा
6. ग्राम पंचायत	—	केलझर
7. बीट	—	केलझर
8. कक्ष क्रमांक	—	400 नया(261 पुराना)
9. ग्राम वन समिति	—	केलझर
10. कार्यवृत्त	—	बिगड़े वनों का सुधार
11. मिट्टी का प्रकार	—	दोमट कंकरीली
12. साईट क्वालिटी	—	VB
13. समिति अध्यक्ष	—	श्री अनसिंह खराड़ी
14. बीटगार्ड	—	श्री छगनलाल कटारा
15. परिक्षेत्र सहायक	—	श्री गुलाबसिंह मैड़ा

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 65000
2. रोपित किये जोन वाले पौधों का विवरण :-

क्रमांक	प्रजाति का नाम	पौधों की संख्या	पौधों की आयु वर्ष में	पौधों की ऊँचाई (से.मी.)	कॉलर गोलाई (से.मी.)
1	बांस	3900	1.5 से 2 वर्ष	-	3-5
2	सागौन	9750	1 से 1.25 वर्ष	लम्बाई 9 इंच रूट 8 इंच शूट 1 इंच	3.5-5 सेंमी
3	नीम	5850	1 वर्ष	45 से.मी.	1.5-2 सेंमी
4	चिरोल	5200	1 वर्ष	45 से.मी.	1.5-2 सेंमी
5	बबुल	3900	1 वर्ष	45 से.मी.	1.5-2 सेंमी
6	शीशु	3250	1 वर्ष	45 से.मी.	1.5-2 सेंमी
7	सफेद सिरस	1300	1 वर्ष	45 से.मी.	1.5-2 सेंमी
8	जामुन	1300	1 वर्ष	45 से.मी.	1.5-2 सेंमी
9	खमेर	3250	1 वर्ष	45 से.मी.	1.5-2 सेंमी
10	बहेडा	1300	1 वर्ष	45 से.मी.	1.5-2 सेंमी
11	महुआ	1300	2 वर्ष	45 से.मी.	2-3 सेमी
12	खैर	3900	2 वर्ष	45 से.मी.	2-3 सेमी
13	शीशम	1300	2 वर्ष	45 से.मी.	2-3 सेमी
14	ऑवला	3250	2 वर्ष	45 से.मी.	2-3 सेमी
15	इमली	3250	2 वर्ष	45 से.मी.	2-3 सेमी
16	अंजन	1300	2 वर्ष	45 से.मी.	2-3 सेमी
17	करंज	3250	2 वर्ष	45 से.मी.	2-3 सेमी
18	पीपल	650	2 वर्ष	45 से.मी.	2-3 सेमी
19	बरगद	650	2 वर्ष	45 से.मी.	2-3 सेमी
20	गुलर	650	2 वर्ष	45 से.मी.	2-3 सेमी
21	जगल जलेबी	1300	2 वर्ष	45 से.मी.	2-3 सेमी
22	सीताफल	1300	2 वर्ष	45 से.मी.	2-3 सेमी
23	अर्जुन	1300	2 वर्ष	45 से.मी.	2-3 सेमी
24	बेल	650	2 वर्ष	45 से.मी.	2-3 सेमी
25	बीजा	650	2 वर्ष	45 से.मी.	2-3 सेमी
26	अचार	650	2 वर्ष	45 से.मी.	2-3 सेमी
27	भिलमा	650	2 वर्ष	45 से.मी.	2-3 सेमी
	योग:-	65000			

3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य:- क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थलों पर 60 से.मी. गहरे तथा 60 से.मी. चौड़े सतत कंटूर ट्रेंच बनाये जायेंगे । आवश्यकता अनुसार उपयुक्त स्थलों पर कंटूर बण्ड का निर्माण किया जावेगा । क्षेत्र में मौजूद छोटे नालों में पत्थर से नाला बंधान का कार्य किया जावेगा तथा जल संरचना। इन कार्यों के लिये प्रथम वर्ष की राशि की 25 प्रतिशत राशि प्रावधानित की गई है।
4. क्षेत्र की सुरक्षा:- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा चैनलिंग फेंसिंग तथा आर.सी.सी. पोल लगाकर की जावेगी।

5. पुर्नउत्पादन सफाई:- क्षेत्र में किये गये ठूठ ड्रेसिंग कार्य से प्राप्त कापिस की सिंगलिंग का कार्य सुरक्षा श्रमिकों के माध्यम से द्वितीय वर्ष अथवा तृतीय वर्ष में किया जावेगा ।
6. सिल्वीकल्चर ऑपरेशन:- क्षेत्र में प्रथम वर्ष में लैण्टाना उन्मूलन का कार्य किया जावेगा । रोपण उपरांत आवश्यकतानुसार मृत्यारोपण तथा निंदाई का कार्य किया जायेगा । रोपण उपरान्त प्रत्येक वर्ष अग्नि सुरक्षा के कार्य प्रावधानित किये गये है ।
7. रखरखाव :- रोपण के उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जावेगा ।
8. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य:- रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष दिनांक 01 मई तथा 01 अक्टूबर की स्थिति में जीवित पौधों की गणना तथा गोलाई की गणना की जावेगी । इस गणना की प्रविष्टि रोपण पंजी में की जावेगी । समय-समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले अनुश्रवण एव मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार रहेगा :-

परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उप वनमण्डलाधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डलाधिकारी द्वारा	10 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय-समय पर गैर शासकीय / शासकीय संस्थाओं से करवाया जाने वाला मुल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा ।

रखरखाव अवधि समाप्त होने पर पौधें स्थाईत्व को प्राप्त कर लेंगे ।



उप वन मण्डलाधिकारी,
उप वन मण्डल, झाबुआ



वन मण्डलाधिकारी,
सामान्य वन मण्डल, झाबुआ

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र पेटलावद

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु योजना (क्षेत्रफल-65 हेक्टेयर)

(असिंचित)

क्षेत्र तैयारी वर्ष- योजना का प्रथम वर्ष (2020-21)

संख्या 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर

वनमण्डल :- झाबुआ				वन परिक्षेत्र - झाबुआ					
कक्ष क्रमांक :- 400(261 पुराना) केलझर				स्थल का नाम - केलझर					
योजना का नाम : वैकल्पिक वृक्षारोपण				समिति का नाम - केलझर					
मद :- केम्पा									
कुल क्षेत्र :-271.22 हेक्टर			कार्य योग्य क्षेत्र :		65	हेक्टेयर	दैनिक मजदूरी दर :		306
क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई		कुल मानव दिवस	रिमार्क	राशि	
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	सर्वे एवं सीमांकन हे0	65	ha	0.45	हे0	29.25	जॉबदर	8951	
2	पक्के मुनारों का निर्माण	0	मुनारा	16.00	मुनारा	0.00	गणना के आधार पर	0	
3	ट्रीटमेंट टाइप का क्षेत्र में सीमांकन (सामग्री सहित) हैक्ट.	65	ha	1.00	.	65.00	अनुमानित	19890	
4	क्षेत्र सफाई (हे0)	65	ha	4.00	प्रति हे0	260.00	जॉबदर	79560	
5	लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (मध्यम)	20	ha	12.50	प्रति हेक्ट	250.00	जॉबदर	76500	
6	वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.8 मी. ऊंची, 75 mm X 75 mm की मेस साइज, 12 गेज चैनलिक फेंसिंग से करने पर, साथ ही सीमेंट के पोल 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी/प्रति किलो की नुकीली तार की 03 लाईनों में भी लगाई जायेगी। सीमेंट पोल को 30 cm X 30 cm X 45 cm के गड्डों में 1:2:4 के सीमेंट कांक्रीट से भरा जायेगा।	3753	Rmt	2.40	Rmt	9007.20	गणना के आधार पर	2756203	
7	गड्ढा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट	65000	गड्ढे	2.50	प्रति हजार	162.50	जॉबदर	49725	
8	रोपण हेतु गड्ढा खोदाई संख्या 60x60x60 cm.	65000	गड्ढे	10.00	प्रति सैकड़ा	6500.00	जॉबदर	1989000	
9	गड्ढों में मिट्टी बदलने हेतु क्रय (आयतन का 30 प्रतिशत)	4212	घ0मी0	250.00	घ0मी0		बाजार दर	1053000	
10	गोबर खाद डालने हेतु क्रय (आयतन का 5 प्रतिशत)	702	घ0मी0	1500.00	घ0मी0		बाजार दर	1053000	
11	उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं आर्गेनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गड्ढों में डालना	65000	गड्ढे	1.50	प्रति सैकड़ा	975.00	जॉबदर	298350	

12	नीम खली क्रय 100 ग्राम प्रति पौधा	6500	कि.ग्रा.	25.00	प्रति कि.ग्रा.	531.05	बाजार दर	162500
13	वर्मी कम्पोस्ट क्रय 500 ग्राम प्रति पौधा	32500	कि.ग्रा.	7.00	प्रति कि.ग्रा.	743.46	बाजार दर	227500
14	हट निर्माण 2		L.S.			300.00	अनुमानित	90200
15	अन्य व्यय (निरीक्षण पथ, सूचना बोर्ड, पेंट, चूना आदि)					363.73	अनुमानित	111301
	योग							7975680
16	भू-जल संरक्षण कार्य 25 प्रतिशत	65	हे०		प्रति हे०	6516.08	अनुमानित	1993920
	कुल योग :-					32580.39		9969600

योजना का द्वितीय वर्ष (2021-22)

(असिंचित)

वनमण्डल :- झाबुआ				वन परिक्षेत्र - झाबुआ				
कक्ष क्रमांक :- 400(261 पुराना) केलझर				स्थल का नाम - केलझर				
योजना का नाम : वैकल्पिक वृक्षारोपण				समिति का नाम - केलझर				
मद :- केम्पा								
कुल क्षेत्र :-271.22 हेक्टर		कार्य योग्य क्षेत्र :		65	हेक्टेयर	दैनिक मजदूरी दर :	324	
क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क	राशि
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रोपणी कार्य							
	प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या	65000	पौधे	10	10 रु. प्रति पौधा	2006.17	बाजार दर	650000
	मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 20 प्रतिशत	13000	पौधे	10	10 रु. प्रति पौधा	401.23	बाजार दर	130000
2	पौधों का परिवहन (संख्या)							
	ट्रक / ट्रैक्टर द्वारा	78000	पौधे	1.5	प्रति सैकड़ा	1170.00	जॉबदर	379080
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	65000	पौधे	0.4	प्रति सैकड़ा	260.00	जॉबदर	84240
3	लैंटाना मापिंग अप आपरेशन	20	हेक्टेयर	8	प्रति हेक्ट	160.00	जॉबदर	51840
4	रोपण							
	60x60x60 cm.	65000	गड्डे	2	प्रति सैकड़ा	1300.00	जॉबदर	421200
5	प्रथम निंदाई							
	पौधों में	65000	पौधे	1.25	प्रति सैकड़ा	812.50	जॉबदर	263250
6	द्वितीय निंदाई							
	पौधों में	65000	पौधे	1	प्रति सैकड़ा	650.00	जॉबदर	210600
7	तृतीय निंदाई							
	पौधों में	0	पौधे	1	प्रति सैकड़ा	0.00	जॉबदर	0
8	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	65000	पौधे	0.6	प्रति सैकड़ा	390.00	जॉबदर	126360
9	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	4500	मीटर	3.35	प्रति किमी	15.08	जॉबदर	4884
	3 मीटर चौड़ी	15000	मीटर	2.25	प्रति किमी	33.75	जॉबदर	10935
10	सुरक्षा कार्य, 2 सुरक्षा श्रमिक 9 माह	2	श्रमिक	270	मा.दि. प्रति श्रमिक	540.00	अनुमानित	174960

योजना का तृतीय वर्ष (2022-23)

(असिंचित)

वनमण्डल :- झाबुआ				वन परिक्षेत्र - झाबुआ					
कक्ष क्रमांक :- 400(261 पुराना) केलझर				स्थल का नाम - केलझर					
योजना का नाम : वैकल्पिक वृक्षारोपण				समिति का नाम - केलझर					
मद :- केम्पा									
कुल क्षेत्र :-271.22 हेक्टर			कार्य योग्य क्षेत्र :		65	हेक्टेयर	दैनिक मजदूरी दर :		344
क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क	राशि	
		मात्रा	इकाई	मानव	इकाई				
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	6500	पौधे	10	10 रु. प्रति पौधा	188.95	बाजार दर	65000	
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						बाजार दर		
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	6500	पौधे	1.5	प्रति सैकड़ा	97.50	जॉबदर	33540	
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	6500	पौधे	0.4	प्रति सैकड़ा	26.00	जॉबदर	8944	
3	चेनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)					200.00	अनुमानित	68800	
4	प्रथम निंदाई								
	पौधों में	65000	पौधे	1.25	प्रति सैकड़ा	812.50	जॉबदर	279500	
5	द्वितीय निंदाई								
	पौधों में	65000	पौधे	1	प्रति सैकड़ा	650.00	जॉबदर	223600	
6	तृतीय निंदाई								
	पौधों में	0	पौधे	1	प्रति सैकड़ा	0.00	जॉबदर	0	
7	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	65000	पौधे	0.6	प्रति सैकड़ा	390.00	जॉबदर	134160	
8	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन								
	6 मीटर चौड़ी	4500	मीटर	3.35	प्रति किमी	15.08	जॉबदर	5186	
	3 मीटर चौड़ी	15000	मीटर	2.25	प्रति किमी	33.75	जॉबदर	11610	
9	सुरक्षा कार्य, 2 सुरक्षा श्रमिक 12 माह	2	श्रमिक	360	मा.दि. प्रति श्रमिक	720.00	अनुमानित	247680	
10	1 कि.मी. दूरी तक पानी सिरबोझ से सिंचाई करना 2 बार (सिंचाई की अन्य व्यवस्था)	65000	पौधे	1.25	प्रति सैकड़ा	1625.00	जॉबदर	559000	
11	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					183.08	अनुमानित	62980	
योग:-						4941.86		1700000	

योजना का चतुर्थ वर्ष (2023-24)

(असिंचित)

वनमण्डल :- झाबुआ				वन परिक्षेत्र - झाबुआ				
कक्ष क्रमांक :- 400(261 पुराना) केलझर				स्थल का नाम - केलझर				
योजना का नाम : वैकल्पिक वृक्षारोपण				समिति का नाम - केलझर				
मद :- केम्पा								
कुल क्षेत्र :-271.22 हेक्टर		कार्य योग्य क्षेत्र :		65	हेक्टेयर	दैनिक मजदूरी दर :	364	
क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क	राशि
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	6500	पौधे	10	10 रु. प्रति पौधा	178.57	बाजार दर	65000
पौधों का परिवहन (संख्या)							बाजार दर	
2	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	6500	पौधे	1.5	प्रति सैकड़ा	97.50	जॉबदर	35490
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	6500	पौधे	0.4	प्रति सैकड़ा	26.00	जॉबदर	9464
3	प्रथम निंदाई							
	पौधों में	65000	पौधे	1.25	प्रति सैकड़ा	812.50	जॉबदर	295750
4	द्वितीय निंदाई							
	पौधों में	65000	पौधे	1	प्रति सैकड़ा	650.00	जॉबदर	236600
5	तृतीय निंदाई							
	पौधों में	0	पौधे	1	प्रति सैकड़ा	0.00	जॉबदर	0
6	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	65000	पौधे	0.6	प्रति सैकड़ा	390.00	जॉबदर	141960
आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन								
7	6 मीटर चौड़ी	4500	मीटर	3.35	किमी	15.08	जॉबदर	5487
	3 मीटर चौड़ी	15000	मीटर	2.25	किमी	33.75	जॉबदर	12285
8	सुरक्षा कार्य, 2 सुरक्षा श्रमिक 12 माह	2	श्रमिक	360	मा.दि. प्रति श्रमिक	720.00	अनुमानित	262080
9	1 कि.मी. दूरी तक पानी सिरबोझ से सिंचाई करना 1 बार (सिंचाई की अन्य व्यवस्था)	65000	पौधे	1.25	प्रति सैकड़ा	812.50	जॉबदर	295750
10	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					137.73	अनुमानित	50134
योग:-						3873.63		1410000

योजना का पंचम वर्ष (2024-25)

(असिंचित)

वनमण्डल :- झाबुआ				वन परिक्षेत्र - झाबुआ				
कक्ष क्रमांक :- 400(261 पुराना) केलझर				स्थल का नाम - केलझर				
योजना का नाम : वैकल्पिक वृक्षारोपण				समिति का नाम - केलझर				
मद :- केम्पा								
कुल क्षेत्र :-271.22 हेक्टर			कार्य योग्य क्षेत्र :		65	हेक्टेयर	दैनिक मजदूरी दर :	386
क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क	राशि
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	चेनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)					100.00	अनुमानित	38600
2	प्रथम निंदाई							
	पौधों में	65000	पौधे	1.25	प्रति सैकड़ा	812.50	जॉबदर	313625
3	द्वितीय निंदाई							
	पौधों में	65000	पौधे	1	प्रति सैकड़ा	650.00	जॉबदर	250900
4	तृतीय निंदाई							
	पौधों में	0		1	प्रति सैकड़ा	0.00	जॉबदर	0
5	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	65000	पौधे	0.6	प्रति सैकड़ा	390.00	जॉबदर	150540
6	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	4500	मीटर	3.35	प्रति किमी	15.08	जॉबदर	5819
	3 मीटर चौड़ी	15000	मीटर	2.25	प्रति किमी	33.75	जॉबदर	13028
7	सुरक्षा कार्य, 2 सुरक्षा श्रमिक 12 माह	2	श्रमिक	360	मा.दि. प्रति श्रमिक	720.00	अनुमानित	277920
8	1 कि.मी. दूरी तक पानी सिरबोज़ से सिंचाई करना 1 बार (सिंचाई की अन्य व्यवस्था)	65000	पौधे	1.25	प्रति सैकड़ा	812.50	जॉबदर	313625
9	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					93.12	अनुमानित	35943
योग:-						3626.9		1400000

योजना का षष्ठम वर्ष (2025-26)

(असिंचित)

वनमण्डल :- झाबुआ				वन परिक्षेत्र - झाबुआ				
कक्ष क्रमांक :- 400(261 पुराना) केलझर				स्थल का नाम - केलझर				
योजना का नाम : वैकल्पिक वृक्षारोपण				समिति का नाम - केलझर				
मद :- केम्पा								
कुल क्षेत्र :-271.22 हेक्टर		कार्य योग्य क्षेत्र :		65	हेक्टेयर	दैनिक मजदूरी दर :-	409	
क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क	राशि
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	प्रथम निंदाई पौधों में	65000		1.25	प्रति सैकड़ा	812.5	जॉबदर	332313
2	द्वितीय निंदाई पौधों में	0		1	प्रति सैकड़ा	0	जॉबदर	0
3	तृतीय निंदाई पौधों में	0		1	प्रति सैकड़ा	0	जॉबदर	0
4	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 6 मीटर चौड़ी	4500	मीटर	3.35	प्रति किमी	15.08	जॉबदर	6166
	3 मीटर चौड़ी	15000	मीटर	2.25	प्रति किमी	33.75	जॉबदर	13804
6	सुरक्षा कार्य, 2 सुरक्षा श्रमिक 12 माह	2	श्रमिक	360	मा.दि. प्रति श्रमिक	720.00	अनुमानित	294480
7	अन्य व्यय					59	अनुमानित	24237
योग:-						1640.59		671000

योजना का सप्तम वर्ष (2026-27)

(असिंचित)

							दैनिक मजदूरी दर :	434
क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क	राशि
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	चेनलिक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)					250.00	अनुमानित	108500
2	प्रथम निंदाई पौधों में	0	पौधे	1.25	प्रति सैकड़ा	0.00	जॉबदर	0
3	द्वितीय निंदाई							
5	सुरक्षा कार्य, 2 सुरक्षा श्रमिक 12 माह	2	श्रमिक	360	मा.दि. प्रति श्रमिक	720.00	अनुमानित	312480
6	अन्य व्यय					64.12	अनुमानित	27829
योग:-						1034.12		448809

योजना का अष्टम वर्ष (2027-28)

(असिंचित)

वनमण्डल :- झाबुआ				वन परिक्षेत्र - झाबुआ				
कक्ष क्रमांक :- 400(261 पुराना) केलझर				स्थल का नाम - केलझर				
योजना का नाम : वैकल्पिक वृक्षारोपण				समिति का नाम - केलझर				
मद :- केम्पा								
कुल क्षेत्र :-271.22 हेक्टर			कार्य योग्य क्षेत्र :		65	हेक्टेयर	दैनिक मजदूरी दर :	460
क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाक	राशि
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	चेनलिक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)	LS				200.00	अनुमानित	92000
1	प्रथम निंदाई							
	पौधों में	0		1.25	100	0	जॉबदर	0
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
2	6 मीटर चौड़ी	4500	मीटर	3.35	प्रति किमी	15.08	जॉबदर	6935
	3 मीटर चौड़ी	15000	मीटर	2.25	प्रति किमी	33.75	जॉबदर	15525
3	सुरक्षा कार्य, 2 सुरक्षा श्रमिक 12 माह	2	श्रमिक	360	मा.दि. प्रति श्रमिक	720.00	अनुमानित	331200
4	अन्य व्यय					31.17	अनुमानित	14340
योग:-						1000.00		460000

योजना का नवम वर्ष (2028-29)

(असिंचित)

				दैनिक मजदूरी दर :				488
क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाक	राशि
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	चेनलिक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)	LS				140.00	अनुमानित	68320
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
2	6 मीटर चौड़ी	4500	मीटर	3.35	प्रति किमी	15.08	जॉबदर	7357
	3 मीटर चौड़ी	15000	मीटर	2.25	प्रति किमी	33.75	जॉबदर	16470
3	सुरक्षा कार्य, 2 सुरक्षा श्रमिक 12 माह	2	श्रमिक	360	मा.दि. प्रति श्रमिक	720.00	अनुमानित	351360
4	अन्य व्यय					13.31	अनुमानित	6493
योग:-						922.13		450000

योजना का दशम वर्ष (2029-30)

(असिंचित)

वनमण्डल :- झाबुआ				वन परिक्षेत्र - झाबुआ				
कक्ष क्रमांक :- 400(261 पुराना) केलझर				स्थल का नाम - केलझर				
योजना का नाम : वैकल्पिक वृक्षारोपण				समिति का नाम - केलझर				
मद :- केम्पा								
कुल क्षेत्र :-271.22 हेक्टर			कार्य योग्य क्षेत्र :		65	हेक्टेयर	दैनिक मजदूरी दर :	517
क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क	राशि
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	चेनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)	LS				60.00	अनुमानित	31020
आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन								
2	6 मीटर चौड़ी	4500	मीटर	3.35	प्रति किमी	15.08	जॉबदर	7794
	3 मीटर चौड़ी	15000	मीटर	2.25	प्रति किमी	33.75	जॉबदर	17449
3	सुरक्षा कार्य, 2 सुरक्षा श्रमिक 12 माह	2	श्रमिक	360	मा.दि. प्रति श्रमिक	720.00	अनुमानित	372240
4	अन्य व्यय					22.24	अनुमानित	11497
योग:-						851.06		440000

योजना का ग्यारह वर्ष (2030-31)

(असिंचित)

						दैनिक मजदूरी दर :	548	
क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	रिमार्क	राशि
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन								
1	6 मीटर चौड़ी	4500	मीटर	3.35	प्रति किमी	15.08	जॉबदर	8261
	3 मीटर चौड़ी	15000	मीटर	2.25	प्रति किमी	33.75	जॉबदर	18495
2	सुरक्षा कार्य, 2 सुरक्षा श्रमिक 12 माह	2	श्रमिक	360	मा.दि. प्रति श्रमिक	720.00	अनुमानित	394560
3	अन्य व्यय					15.85	अनुमानित	8684
योग:-						784.67		430000

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु योजना गोश्वारा,
65 हेक्टेयर

(असिंचित)

वनमण्डल :- झाबुआ		वन परिक्षेत्र - झाबुआ		
कक्ष क्रमांक :- 400(261 पुराना) केलझर		स्थल का नाम - केलझर		
योजना का नाम : वैकल्पिक वृक्षारोपण		समिति का नाम - केलझर		
मद :- केम्पा				
वित्तीय वर्ष	प्रस्तावित मानव दिवस	मजदूरी दर	राशि	प्रति हेक्टर व्यय
प्रथम (2020-21)	32580	306	9969600	153378
द्वितीय (2021-22)	10492	324	3399400	52298
तृतीय (2022-23)	4942	344	1700000	26154
चतुर्थ (2023-24)	3874	364	1410000	21692
पंचम (2024-25)	3627	386	1400000	21538
षष्ठम (2025-26)	1641	409	671000	10323
सप्तम (2026-27)	1083	434	470000	7231
अष्टम (2027-28)	1000	460	460000	7077
नवम (2028-29)	922	488	450000	6923
दशम (2029-30)	851	517	440000	6769
ग्यारह(2030-31)	785	548	430000	6615
कुल योग	61796		20800000	320000

कुल राशि का 5 प्रतिशत आस्थामुलक	1040000
कुल राशि का 1 प्रतिशत मानव संसाधन विकास	208000
कुल राशि का 4 प्रतिशत अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य	832000
योग :-	2080000
सकल योग :-	22880000
10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क	2288000
महायोग :-	25168000

उप वनमण्डलाधिकारी
उप वनमण्डल झाबुआ

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल झाबुआ

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र झाबुआ